बाल श्रम विभाग को बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उतराखण्ड के दिशा–निर्देश

श्रम विभाग के लिए निर्देश–

1. बाल श्रम (प्रतिषेध एवं नियमन) 1986 के तहत बाल श्रमिकों का चिन्हिकरण, अवमानना, अभियोजन, मुलजिम ठहराये जाने वालों की संख्या आदि मामलों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना।

2. एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के मुकदमें 1997, 3SCC699 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर राज्य में मालिको/नियोक्ताओ पर लगाए गए आर्थिक दण्ड पर वस्तुस्थिति रिपोर्ट तैयार करना।

3. एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के मुकदमें के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर राज्य में मालिको/नियोक्ताओं से कुल कितनी धन राशि आर्थिक दण्ड के रूप में वसूली गयी।

4. एक ऐसी चाईल्ड लाइन बनाना जहां पर बाल श्रम से संबंधित शिकायतों को आम जनता दर्ज करा सके तथा उस पर स्थानीय पुलिस की मदद से तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।

5. बाल श्रम (प्रतिषेध एवं नियमन) 1986 की धारा 3 एवं 14 में दिये गए निर्देशों को संक्षेप में सभी रेलवे स्टेशनों, आवागमन के सार्वजनिक स्थानों एवं उन सभी संदिग्ध जगहों पर जहां से बाल व्यापार के लिए आवागमन होता है पर, स्थानीय एवं अंग्रेजी भाषा में लिखें जाए।

6. राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की तर्ज पर, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी मंजूरी दी है, बाल श्रम के पूर्ण खात्मे के लिए एक समग्र कार्ययोजना तैयार किया जाए जो कि समयबद्ध हो और उसमें निम्नलिखित बातें सुनिश्चित की जाए–

- जिन क्षेत्रों से बाल मजदूरों के लाए जाने की संभावनाएं ज्यादा होती है उस पर लगातार नजर रखी जाए।
- यदि बच्चे काम करते हुए पाए जाएं और उनकी संख्या काफी ज्यादा हो तो संबंधित जिलाधिकारी और पुलिस विभाग से तत्काल संपर्क कर 24 घंटे के भीतर एक कार्यबल के साथ उनको मुक्त कराने के लिए छापामार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। यदि बाल श्रमिकों की संख्या कम हो तो विभागीय सहयोगियों व पुलिस की मदद से उनको मुक्त कराने के लिए तत्काल कार्यवाही की जाए।

- बाल श्रम से मुक्ति के लिए छापामार कार्यवाही की समग्र योजना बनाई जानी चाहिए तथा छापामार कार्यवाही के दौरान संबंधित अधिकारियों एवं दुकान निरीक्षकों की पर्याप्त संख्या में उपस्थिति और उनकी सक्रियता सुनिश्चित की जाए।
- यदि बाल श्रम कानून (प्रतिषेध एवं नियमन) 1986 की धारा 3 यहां लागू हो तो उसके निर्देशानुसार मालिकों पर आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा यदि धारा 3 लागू नही होती है तो इस कानून की धाराओं 7,8,9,11,12 और 13 के अर्न्तगत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- बच्चा जिस काम को कर रहा हो यदि वह खतरनाक किस्म के कामों की श्रेणी में नही आता हो तो, अनैतिक रूप से काम कराने वाले मालिक/नियोक्ता के चंगुल से बच्चे को मुक्त करवाकर उसे पुलिस को सौंप देना चाहिए जिससे कि अवांछनीय तरीके से बाल मजदूरी करवाने पर रोक लग सके तथा बच्चे को शिक्षा से जोड़ा जा सके।
- मुक्त कराए गए बच्चे से प्यार से बात करके उसके बारे में समग्र जानकारी इकठ्ठा कर उसे लिपिबद्ध किया जाए तथा उसकी एक प्रति पुलिस विभाग को भी दिया जाए। मालिक/नियोक्ता के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कर उसके बयान लिए जाए, इस मामले में यदि आवश्यक हो तो टास्कफोर्स की भी मदद ली जाए।
- बच्चे से बात करने के दौरान यदि यह पता चले कि मालिक/नियोक्ता द्वारा बच्चे के माता–पिता को अग्रिम (एडवांस) रूप से अथवा कर्ज के रूप में कुछ धनराशि दी गयी है तो–– बच्चे से जबरिया/बंधुआ बाल मजदूरी करवाने की घोषणा करने के संदर्भ में तत्काल जिलाधिकारी को लिखा जाए तथा आयुक्त के माध्यम से इसकी सुचना सरकार को भी दी जाए।
- मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों की देख–रेख पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए तथा जिस बाल गृह में उन्हें भेजा जाए वहां उनके खाने, पीने का साफ पानी व अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए।
- किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 2(क) में विशेष रूप से निर्दिष्ट परिभाषा के अनुसार "यदि व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम हो तो उसे बच्चा ही माना जाना चाहिए।" इसलिए छापामार कार्यवाही के दौरान यदि श्रमिक की उम्र 14 वर्ष से अधिक हो तो भी उसे मालिक/नियोक्ता के चंगुल से मुक्त कराकर पुलिस को सौंपना चाहिए।

- एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कानूनी कार्यवाही के तहत मालिक/नियोक्ता से 20 हजार रूपये वसूले जाए तथा उस धनराशि को, मूल रूप से बच्चा जिस जिले का रहने वाला है उसे उस जिले से संबंधित बाल कल्याण कोष में जमा किया जाएगा।
- उच्च स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए जो कि जिले स्तर पर गठित टास्कफोर्स और छापामार टीम का हिस्सा हो।
- सामुदायिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपनी खुफिया तंत्र को मजबूत बनाया जाए जिससे कि स्कूल न जाने वाले बच्चों, कार्यस्थलों, दलालों, ठेकेदारों एवं मालिकों/नियोक्ताओं पर नजर रखी जा सके।
- मालिकों/नियोक्ताओं के खिलाफ निम्नलिखित कानूनों एवं नियमों (जहां कहीं यह लागू होता हो) के तहत आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाए –

  1. दिल्ली, शॉप एण्ड स्टेब्लिशमेन्ट एक्ट, 1954
  2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
  3. मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, 1961
  4. फैक्ट्रि एक्ट, 1948
  5. इंटरस्टेट माईग्रेण्ट वर्कमेन (रेगुलेशन ऑफ इम्प्लॉयमेन्ट एण्ड कंडिशन ऑफ सर्विसेस) एक्ट, 1979
  6. कान्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन एण्ड एबोलीशन) एक्ट, 1970

यदि कोई भी मुक्त बाल मजदूर जो बंधुआ मजदूरी का शिकार हो अथवा भारतीय दण्ड संहिता 1860 या किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 अथवा या अन्य कोई धारा जो लागू होती हो तो इन मामलों में पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की जिम्मेदारी श्रम विभाग की होगी।

बाल श्रम कानून (प्रतिषेध एवं नियमन) 1986 में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि यदि 14 वर्ष तक का कोई बच्चा Scheduled व्यवसाय एवं प्रक्रिया में कार्यरत है तो उसे मुक्त कराया जा सकता है लेकिन उसकी उम्र 14 वर्ष से अधिक है तो इस कानून के तहत बच्चे को मुक्त नही कराया जा सकता है।

हालांकि किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2000, 14 से 18 वर्ष के उम्र के बच्चों पर लागू होगा तथा यह उन बच्चों पर भी लागू होगा जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम हो तथा वे Non Scheduled अनुसूचि व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में कार्यरत है। इसी के साथ–साथ ये बच्चे किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 एवं बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 (यदि लागू होता हो) के तहत भी निर्दिष्ट होंगे और दिल्ली एक्शन प्लान की तरह जो कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा बनाया गया है बाल श्रम कानून 1986 भी लगाया जा सकता है।

आगे स्पष्ट किया जाता है कि 20 हजार रूपये जुर्माने की वसूली जो कि एम.सी. मेहता मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई है की वसुली के लिए नियोक्ता के खिलाफ अभियोजन का इंतजार नही किया जाएगा। आगे यह भी कहा गया है कि यह राशि, राजस्व में बकाए के रूप में मुक्त बाल मजदूर द्वारा प्राप्त किया जाएगा और उसका उपयोग वह 14 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद पुनर्वास के लिए करेगा।

समाज कल्याण/महिला एवं बाल कल्याण विभागों को बाल श्रम कानून को लागू करवाने के बावत निर्देश

1. किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 62(अ) के अनुसार प्रत्येक जिले में बाल संरक्षण ईकाई के अर्न्तगत बाल संरक्षण समिति के गठन को सुनिश्चित किया जाए।

2. किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 34 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार जिला स्तर पर अथवा कम से कम मण्डलीय स्तर पर बाल गृह बनाने की आवश्यकता है।

3. किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 37 के तहत प्रत्येक राज्य सरकार जिले स्तर पर अथवा कम से कम मण्डलीय स्तर पर आश्रय–घर की आवश्यकता है।

4. निम्नलिखित प्रक्रियाओं के तहत बच्चे के पुनर्वास एवं सामाजिक रूप से आत्मसात कराने हेतु स्पष्ट कार्ययोजना एवं दिशा–निर्देश बनाएं जाएं –
    - Adoption
    - Foster care
    - Sponsorship
    - Aftercare Organization as per sec 41,42,43,44,of Juvenile Justice (Care and Protection) Act, 2000 respectively

5. सभी बच्चों की देख–भाल एवं उनके संरक्षण विशेष तौर पर बाल श्रमिकों के लिए जिला स्तर पर गठित टास्कफोर्स के साथ ताल–मेल रखने के साथ–साथ पुलिस विभाग, श्रम विभाग के अलावा उन सभी एजेन्सियों से जो कि बच्चों की संरक्षण के लिए जवाबदेह है के साथ बाल संरक्षण ईकाई की मदद से समन्वय स्थापित किया जाए।

6. बच्चे के संरक्षण और देख–भाल के लिए सौंपे जाने के बाद इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए कि बच्चों को रहने, खाने, कपड़े, सुरक्षा आदि का पर्याप्त इंतजाम या नही।

7. बाल श्रम के खिलाफ आम जनता में जन जागरूकता फैलाया जाए तथा स्थानीय बाल श्रमिकों का पुनर्वास उप श्रमायुक्त और अन्य स्वयंसेवी संगठनों की मदद से की जाए।

8. यदि बाल श्रमिक स्थानीय है तो उसे (लड़का/लड़की) रोजगार आधारित तकनीकि शिक्षा उपलब्ध करायी जाए।

9. बाल गृह के संरक्षक को चाहिए कि वह बच्चे को अपने यहां रखते समय संबंधित बाल कल्याण समिति से अनुमति ले ले।

10. बाल कल्याण समिति के निर्देशों एवं सूचनाओं आदि के बारे में संबंधित श्रमायुक्त या उपायुक्त को हर महीने अवगत कराया जाए।

11. एक सदस्य को नामित करने के लिए जो कि जिला स्तरीय टास्कफोर्स का सदस्य हो सकता है– बाल कल्याण समिति को पत्र भेजा जाए। वह सदस्य व्यक्ति जिला टास्कफोर्स और बाल कल्याण समिति के बीच की कडी के रूप में काम करेगा जो कि सभी व्यवहारिक कार्यो जिसमें छापामार कार्यवाही से पूर्व की योजना मिटिंग, मुक्त बच्चों के तात्कालिक तौर पर देख–भाल व संरक्षण के लिए अंतरिम आदेश पारित करने, बच्चे का विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना, बच्चे के परिवार के बारे में पता लगाना, उसके सामाजिक पुनर्वास एवं उसकी निगरानी जैसे कार्यो के संपादन के लिए जवाबदेह होगा। किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के निर्देशानुसार समिति का सदस्य उस जगह/कैम्प/घर/छात्रावास/पुनर्वास केन्द्र पर जाकर जहां पर बच्चा रह रहा है, उससे मित्रवत बात कर सभी प्रकार की जांच की कार्यवाही सम्पन्न करेगा और अपना रिपोर्ट तैयार करेगा।

12. पुनर्वास केन्द्र का आंतरिक माहौल हमेशा ऐसा रखा जाए कि बच्चे को वहां का वातावरण मित्रवत लगे व किसी प्रकार की परेशानी न महसूस हो।

उत्तराखण्ड पुलिस की जिम्मेदारी

1. किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 23 व 26, भारतीय दण्ड संहिता की अन्य धाराएं जो कि वहां लागू हो रही है, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून 1976 समेत अन्य उन सभी उपयुक्त धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करना जो कि बाल श्रम को रोकने में सहायक हो।

2. बचपन बचाओ आन्दोलन बनाम भारत सरकार के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों व किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 63 के प्रावधानों के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में 'विशेष जुवेनाईल पुलिस ईकाई' का गठन किया जाए।

3. पुलिस विभाग द्वारा 'विशेष जुवेनाईल पुलिस ईकाई' के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए समग्र प्रशिक्षण का कार्यक्रम तैयार किया जाए तथा एन्टी ट्रैफिक यूनिट की जिम्मेदारी होगी व अन्य संबंधित विभागों के साथ उचित सहयोग एवं समन्वय स्थापित करे।

4. मालिक/नियोक्ता के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता के द्वारा 363,365,367,368,370,371,374 और 34 तथा इसके साथ–साथ किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 23,24,26 के प्रावधानों व बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून 1976 समेत जो भी अन्य कानून लागू होता हो, के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर सभी आवश्यक कार्यवाही की जाए।

5. मुक्त बाल मजदूर के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए और आगे की कार्यवाही के लिए बाल कल्याण समिति/बाल गृह को सौंप दिया जाए।

6. धारा 32 के तहत केस को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। यदि बच्चा किसी अन्य राज्य का हो तो बाल कल्याण समिति के माध्यम से उसे उसके माता–पिता को सौंप दिया जाए।

7. भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा मानव व्यापार जैसे अपराधों को रोकने एवं छान–बीन के लिए बनाए गए 'स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर' (SOP) के दिशा–निर्देशों के अनुसार इन मामलों की जांच की जाए।

8. यदि मामला संगठित मानव व्यापार का हो और इसमें बड़े पैमाने पर संगठित रूप से पूरा तंत्र शामिल हो तो इसकी पूरी छान–बीन करना अनिवार्य है तथा इस प्रक्रिया में हर उस व्यक्ति को दायरे में लिया जाए जो इस अपराध में शामिल है।

9. यदि मामला गुमशुदा बच्चों का हो तो, यह मानकर कि इसका संबंध मानव व्यापार से हो सकता है, पुलिस को चाहिए कि वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर तत्काल जांच शुरू कर दे।

10. यदि बच्चों को काम करवाने के मकसद से, किसी और राज्य से उत्तराखण्ड लाया गया हो और वह बच्चा यहां गुमशुदा हो जाए तो शिकायत मिलते ही पुलिस को चाहिए कि वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 365 और किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 26 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर तत्काल जांच शुरू कर दे।

बाल श्रम मुक्ति के लिए शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी

(1) बाल श्रम से मुक्त करवाये गये बच्चे को बिना लिंग और जाति भेदभाव शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का लाभ दिया जाना चाहिए और उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए मजबूर करना चाहिए।

(2) इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए।

(3) आठवीं तक शिक्षा पूर्ण करने के दौरान ऐंसे बच्चों को मध्याह्न भोजन का लाभ दिया जाना चाहिए।

(4) जिन क्षेत्रों में स्कूल नही जाने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है या जहां बाल मजदूरी की समस्या है, वहां वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जाने चाहिए।

(5) ऐसी स्थितियां पैदा की जानी चाहिए कि बच्चों का शिक्षा में रूझान बढ़े।

(6) बाल श्रम से मुक्त करवाये गये बच्चे अगर स्कूल में दाखिले के बाद फिर स्कूल छोड़ देते है तो स्कूल के प्रधानाचार्य और संबंधित शिक्षा अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

(7) बाल मजदूरों के अभिभावकों को शिक्षा का महत्व समझाया जाना चाहिए।

(8) शिक्षा में कमजोर बच्चों की देखभाल में क्षेत्र के एनजीओ को शामिल किया जा सकता है।

(9) संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी जिलाधिकारी को इस संबंध में मासिक रिपोर्ट भेजेगा जिसकी प्रतिलिपि शिक्षा निदेशक उत्तराखण्ड और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी भेजी जाय। इसमें स्कूल और कक्षा के अनुसार बाल मजदूरों की हाजरी और उनके छोड़कर जाने का विवरण हो। इसके अतिरिक्त शिक्षा से वंचित बच्चों का ब्यौरा और उन्हें मुख्य धारा में लाने के प्रयासों की जानकारी भी दी जाय। जिलों की इन रिपोर्टो की जिला स्तर की टास्क फोर्स और राज्य स्तर की निगरानी कमेटी में विचार विमर्श हो।

(10) शिक्षा विभाग सुनिश्चित करे कि हाईस्कूल में अध्यापकों और छात्रों का उचित अनुपात हो, विषय के अनुसार अध्यापक भी मौजूद हों, अध्यापक समय पर स्कूल आयें और ऐंसे बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाते रहें जिन्हें बाल मजदूरी से मुक्त करवाया गया या मौजूदा कानून के अनुसार बाल मजदूरी में संलग्न है।